कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया (छ०ग०)

//दांडिक कार्य विभाजन आदेश//

क्यू०/दा०का०वि०/मु०न्या०मजि०/2023 बैकुण्ठपुर दिनाँक 20.02.2023

मै मोहन सिंह कोर्राम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया, छ०ग० दांडिक कार्य विभाजय के संबंध में पूर्व में जारी किये समस्त आदेशों को निरस्त करते हुये, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 14(1) एवं 15 (2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में तथा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छ०ग० एवं माननीय सत्र न्यायाधीश बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया के नियंत्रण के अधीन रहते हुये राजस्व जिला कोरिया में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के मध्य कार्य के सुचारू संचालन हेतु निम्नानुसार कार्य विभाजन करता हूँ, जो कि माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया के अनुमोदन दिनांक से प्रभावशील होगाः-

स्तम्भ क्रं. 1	**स्तम्भ क्र. 2**	**न्यायाधीश का पद नाम**	**अवकाश अथवा अनुपस्थिति में अधिकृत न्यायाधीश**
1.	श्री मोहन सिंह कोर्राम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया छ०ग०	1. आरक्षी केन्द्र बैकुण्ठपुर 2. आरक्षी केन्द्र पटना, पु.स.के.-पांडोपारा एवं कटकोना **Next Date**	1. स्तम्भ क्रमांक 3 में वर्णित समस्त आरक्षी केन्द्र से उदभूत समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरणों, प्रस्तुत परिवादों का निराकरण करना (केवल उन प्ररणों के अतिरिक्त माननीय सत्र न्यायालय एवं माननीय विशेष न्यायालय को है ।) 2. **स्तम्भ क्रमांक 03 के अंतर्गत आने वाले सभी आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न् खात्मा एवं खारिजी प्रकरणों का निराकरण करना तथा जिला कोरिया के अंतर्गत समस्त आरक्षी केन्द्रों से उदभूत खारिजी प्रकरणों का निराकरण करना ।** 3. कॉलम 3 के थाना क्षेत्र से उत्पन्न् होने वाले समस्त घरेलू हिंसा एवं महिलओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रकरणों एवं परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 136 के तहत पेश परिवाद का निराकरण करना । 4. आबकारी वृत्त बैकुण्ठपुर से उदभूत हाने वाले समस्त प्रकरण का निराकरण करना एवं जिला कोरिया स्थित समस्त **आरक्षी केन्द्रों के**

		क्षेत्राधिकारिता में उदभूत छ०ग० आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत ऐसे प्रकरण जिनमें 5 बल्फ लीटर से अधिक मात्रा में मादक द्रव्य जप्त किया जाना अतर्वलित है, का निराकरण करना । 5. जिला कोरिया के वन परिक्षेत्र बैकुण्ठपुर एवं बन परिक्षत्र सोनहत व देवगढ के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न् वन अधिनियम के प्रकरणों का निराकरण करना एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के प्रकरणों का निराकरण करना । 6. अन्य समस्त आपराधिक प्रकरण परिवाद जिनकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अनन्यतः प्राप्त है । 7. माननीय उच्चतम न्यायालय भारत संघ एवं माननीय उच्च न्यायालय तथा माननीय सत्र न्यायालय द्वारा समय समय पर दिये गये आदेश एवं निर्देश तथा सौपे गये समस्त प्रकरणों का निराकरण करना ।
2. श्रीमती अर्चना भास्कर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया छ०ग०		1. माननीय सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सौपे गये मामलों का निराकरण करना । 2. माननीय रजिस्ट्री का ज्ञापन क्रमांक 1815/दो-15-2/2012 बिलासपुर दिनांक 07.03.2013 के अनुसार जिला कोरिया, बैकुण्ठपुर के क्षेत्राधिकारिता में आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रो से उत्पन्न् अंतर्गत धारा 354, 354 ए.बी.सी.डीए 509 भा.दं.सं. के आपराधिक प्रकरणों, परिवाद का निराकरण करना । 3. आरक्षी केन्द्र पोड़ी (थाना पोडी के ऐसे गांव जो राजस्व तहसील बैकुण्ठपुर मुं आते हो) के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत एन.डी.पी.एस. अधिनियम 1955 के तहत जप्तशुदा सामग्री की इन्वेन्ट्री तैयार करना ।

3.	श्री विरेन्द्र सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया छ०ग०	1. आरक्षी केन्द्र चरचा 2. आरक्षी केन्द्र सोनहत एवं चौकी रामगढ़ 3. आरक्षी केन्द्र पोडी (थाना पोडी के ऐसे गांव जो राजस्व तहसील बैकुण्ठपुर में आते हो)	1. स्तम्भ क्रमांक 3 में वर्णित आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न् होने वाले सभी दाण्डिक मामलों (धारा3 54,354 354 ए.बी.सी. डीए 509 भा.दं.सं. के आपराधिक के संबंधित प्रकरणों को छोडकर) एवं उक्त थाने से उत्पन्न होने वाले (5 बल्फ लीटर से अधिक मात्रा में मादक द्रव्य जप्ती से उदभूत प्रकरणों को छोड़कर) आबकारी अधिनियम से संबंधित प्रकरणों सहित उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त परिवाद एवं खात्मा का निराकरण करना । (केवल उन प्रकरणों के अतिरिक्त जिनके संज्ञान लेने का अधिकार अनन्यतः माननीय सत्र न्यायालय एवं माननीय विशेष न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिसट्रेट को है ।) 2. कॉलम 3 के आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के तहत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम, नाप तौल अधिनियम के तहत प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना । 3. कॉलम 3 के आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के तहत उत्पन्न् दुकान स्थापना अधिनियम, नाम तौल अधिनियम के तहत प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना । 4. माननीय सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सौंपे गये मामलों का निराकरण करना । 5. आरक्षी केन्द्र बैकुण्ठपुर एवं पटना के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत एन.डी.पी.एस. अधिनियम 1985 के तहत जप्तशुदा सामग्री की इन्वेन्ट्री तैयार करना ।
4.	श्री राजेश खलखो, न्यायिक मजिस्ट्रेट व्दितीय श्रेणी, बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया छ०ग०		1. माननीय केन्द्र बैकुण्ठपुर एवं पटना के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत एन.डी.पी.एस अधिनियम 1985 के तहत जप्तशुदा सामग्री की इन्वेन्ट्री तैयार करना ।

		2. आरक्षी केन्द्र चरचा एवं सोनहत तथा चौकि रामगढ़ के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत एन.डी.पी.एस. अधिनियम 1985 के तहत जप्तशुदा सामग्री की इन्वेन्ट्री तैयार करना ।

टीपः-

1. ऐसे अन्य प्रकरण या न्यायिक कार्य जिसका विशिष्ट उल्लेख इस आदेश में न हो या शंका की स्थिति उत्पन्न् होने की दशा में वे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैकुण्ठपुर, कोरिया छ०ग० के न्यायालय में प्रस्तुत होगें ।

पृ.क्र.-............../मु.न्या.मजि./2023 **बैकुण्ठपुर दिनांक-20/02/2023**

1. प्रस्तुतकार माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया, छ०ग० की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रस्तुतकार अतिरिक्त माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया, छ०ग० की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैकुण्ठपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित ।
4. पुलिस अधीक्षक बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया छ०ग० को समस्त आरक्षी केन्द्रों को सूचित करने आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
5. जिला अभियोजन अधिकारी बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया छ०ग० को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त सहायक अभियोजन अधिकारीगण को सूचित करें ।
6. अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ, जिला कोरिया, छ०ग० की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
7. कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय बैकुण्ठपुर को प्रेषित ।

(मोहन सिंह कोर्राम)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया (छ०ग०)

आवश्यक टिप्पणीः-

1. माननीय उच्च न्यायालय छ०ग० बिलासपुर द्वारा अभियोग पत्र ग्रहण किये जाने बाबत तथा अभियोग प९ की सुस्पष्ट पठनीय प्रति, कम्प्यूटर प्रति/टंकित प्रति, साक्षियों के फोटो जप्तशुदा संपत्ति चिकित्सीय रिपार्ट, विशेषज्ञ रिपोर्ट एवं अन्य आदि के संबंध में दिए गए समस्त निर्देशो का, न्यायिक मजिस्ट्रेट अभियोग पत्र ग्रहण करते समय कठोरता से पालन करेगें ।
2. न्यायिक मजिस्ट्रेट (जिन्हें संक्षिप्त विचारण की शक्ति प्राप्त है), अपने क्षेत्राधिकार से संबंधित पुलिस थाना क्षेत्र में विधि अनुसार सक्षम होने पर उनकी सुविधा के अनुसार नियमित अंतराल में माह में कम से कम एक बार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से अनुमति लेकर माननीय सत्र न्यायाधीश बैकुण्ठपुर को सूचित करते हुये मोबाईल कोर्ट/चलित न्यायालय (दैनिक न्यायिक कार्य को प्रभावित किये बिना) आयोजित करेगें ।

3. न्यायिक मजिस्ट्रेटगण के अवकाश पर होने, शासकीय दौरे पर होने एवं स्थानांतरण होने एवं अन्य किसी विशेष परिस्थिति में अनुपस्थित हरने पर परिशिष्ट "ब", "स" के अनुसार न्यायिक मजिस्ट्रेटगण अत्यावश्यक कार्य संपादित करेगें तथा रिमांड , वारंट, वारंट निरस्तीकरण, सुपुर्दनामा, जमानत, त्वरित सुनवाई आवेदन का निराकरण किया जाना शामिल है ।
4. अत्यावश्यक कार्यो में अन्य न्यायालय से संबंधित प्रकरणों का अभियोग पत्र लेकर अंतिम निराकरण किया जाना शामिल नहीं है, परन्तु संक्षिप्त विचारण भा.दं.वि. की धारा 279, 337 एवं मोटर यान अधिनियम, आबकारी अधिनियम या अन्यथा स्वीकारोक्ति के लघु ऐसे प्रकरण जिनमें स्वेच्छया पूर्वक अपराध स्वीकार करना चाहते हो, मात्र उन्हीं प्रकरणों में अभियोग पत्र लेकर अंतिम निराकरण किया जा सकेगा ।
5. न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में अत्यावश्यक कार्य निष्पादित करने वाले मजिस्ट्रेटगण प्रकरण की कार्यवाही समय, विशेष रूप से इस बात को ध्यान रखे कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 के उपबंधों की अवहेलना ना हो ।
6. यदि किसी विषय के संबंध में कार्यविभाजन आदेश में उल्लेख न हआ हो तो ऐसे विषय जो राजस्व तहसील बैकुण्ठपुर से संबंधित हो-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया छ०ग० को सुनवाई का अधिकार होगा ।

(मोहन सिंह कोर्राम)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया (छ०ग०)

<u>न्यायालयः- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैकुंठपुर, जिला कोरिया, छ०ग०</u>

<u>// दांडिक कार्य विभाजन संशोधन आदेश//</u>

क्यू०/ दां०का०वि०/मु०न्या०मजि०/2023 बैकुंठपुर दिनाँक 17/08/2023

जिला न्यायालय स्थापना बैकुंठपुर जिला बैकुंठपुर कोरिया में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री विरेंद सिंह का स्थानांतरण होने तथा उनके स्थान पर श्री अमन तिग्गा न्यायिक मजिस्ट्रेट व्दितीय श्रेणी की पदस्थापना होने से न्यायालीयन कार्य सुचारु रुप से संचालन हेतु इस न्यायलय द्वारा जारी दांडिक कार्य विभाजन आदेश क्यू०/ दां०का०वि०/मु०न्या०मजि०/2023 बैकुंठपुर दिनाँक 17/08/2023 में संशोधन किया जाना आवश्यक प्रतीत होने से निम्नानुसार संशोधन यिा जा रहा है जो तत्काल प्रभावशील होगाः-

1. आदेश के स्तंभ क्रमांक 1 से सरल क्रमांक 2 - श्रीमति अर्चना भास्कर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैकुंठपुर जिला कोरिया छ०ग० के सम्मुख **स्तंभ क्रमांक 3 में 1. आरक्षी केन्द्र चरचा, 2. आरक्षी केन्द्र सोनहत एवं चौकी रामगढ़, 3. आरक्षी केन्द्र पोडी (थाना पोडी के ऐसे गांव जो राजस्व तहसील बैकुंठपुर में आते हो) जोड़ा जाता है ।**

स्तंभ क्रमाक 4 के कंडिका 3 को विलोपित कर नई कंडिका क्रमांक 3,4,5 एवं 6 निम्नानुसार जोड़ी जाती हैः-

3. स्तंभ क्रमांक 3 में वर्णित आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले सभी दांडिक मामलों (उक्त थानों से उत्पन्न होने वाले 5 बल्क लीटर से अधिका मात्रा में मादक द्रव्य जप्तती से उद्भूत प्रकरणों को छोड़कर) आबकारी अधिनियम से संबंधित प्रकरणों सहित उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त परिवाद एवं खात्मा का निराकरण करना । (केवल उन प्रकरणों के अतिरिक्त जिनके संज्ञान लेने का अधिकार अन्यतः माननीय सत्र न्यायालय एवं माननीय विशेष न्यायालय या मुख्य न्यायालय मजिस्ट्रेट को है)
4. कॉलम 3 के थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त घरेलू हिंसा एवं महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रकरणों एवं पराक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत पेश परिवाद का निराकरण करना ।
5. कॉलम 3 के आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के तहत उत्पन्न दुकान स्थापना, अधिनियम नाप तौल अधिनियम के तहत प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना ।
6. माननीय सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।

2. **कार्य विभाजन आदेश** के स्तंभ क्रमांक 1 के सरल क्रमांक 3 के सम्मुख स्तंभ क्रमांक 3 में श्री विरेंन्द्र सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैकुंठपुर जिला कोरिया छ०ग० को विलोपित कर उनके स्थान पर श्री अमन तिग्गा, न्यायिक मजिस्ट्रेट व्दितीय श्रेणी बैकुंठपुर जिला कोरिया छ०ग० अंकित किया जाता है । उक्त सरल क्रमांक 3 के सम्मुख स्त्ंभ क्रमांक 4 के सरल क्रमांक 1, 2, 3, व 5 को विलोपि कर सरल क्रमांक 4 को सरल क्रमांक 1 व 2 निम्नानुसार अंकित किया जाता है ।

1. माननीय सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सौंपे गये मामलों का निराकरण करना ।

2. आरक्षी केन्द्र चरचा एवं सोनहत तथा चौंकी रामगढ़ के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत एन०डी०पी०एस० अधिनियम 1985 के तहत जप्तशुदा सामग्री की इन्वेन्ट्री तैयार करना ।

3. **कार्य विभाजन आदेश** के सरल क्रमांक 4 के स्तंभ क्रमांक 2 में उल्लेखित श्री राजेश खलखों न्यायिक मजिस्ट्रेट व्दितीय श्रेणी बैकुंठपुर जिला कोरिया छ०ग० के सम्मुख स्तंभ क्रमांक 4 के सरल क्रमांक 2 की अंतर्वस्तु को विलोपित कर निम्नानुसार प्रविष्टि की जाती है- आरक्षी केन्द्र बैकुंठपुर एवं पटना के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत एन०डी०पी०एस अधिनियम 1985 के तहत जप्तशुदा सामग्री की इन्वेन्ट्री तैयार करना ।

4. संशोधन परिशिष्ट अ को नवीन रुप से तैयार कर संलग्न किया जाता है ।

5. संपूर्ण परिशिष्ट स के स्थान पर नवीन परिशिष्ट ब तैयार कर संलग्न किया जाता है ।

पृ.क्रं..................../मु.न्या.मजि./2023 **बैकुण्ठपुर दिनांक-1708/2023**

1. प्रस्तुतकार माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया, छ०ग० की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रस्तुतकार अतिरिक्त माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया, छ०ग० की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैकुण्ठपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित ।
4. पुलिस अधीक्षक बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया छ०ग० को समस्त आरक्षी केन्द्रों को सूचित करने आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
5. जिला अभियोजन अधिकारी बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया छ०ग० को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त सहायक अभियोजन अधिकारीगण को सूचित करें ।
6. अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ, जिला कोरिया, छ०ग० की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
7. कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय बैकुण्ठपुर को प्रेषित ।

(मोहन सिंह कोर्राम)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया (छ०ग०)